छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//आदेश//

CMO CHHATTISGARH

नवा रायपुर, दिनांक : 13.06.2024

क्रमांक ई 2–4/2024/एक/2 :: जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से.,2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से.,2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम–3 (1)(a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में श्री कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अन्वेष घृतलहरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक ई 2–4/2024/एक/2 नवा रायपुर, दिनांक : 13.06.2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
5. संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
6. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना/अधीक्षण शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर,
7. कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
8. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नवा रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

G:\Kolte Sir\Kolte D.E. - 2021-22-23\Letter.doc575